आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी और ता सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर0ई0 वाद सं0– 17/2012–13

मेघनाथ राय

बनाम

विपक्षी– करमी देवी एवं अन्य चार

आदेश

14.08.2019

आवेदक मेघनाथ राय, पिता– स्व0 कैलाश राय, सा0– सकरीगली, छोटी भगियामारी, थाना– तालझारी, जिला– साहेबगंज को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को विवादित भूमि से उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये हैं। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकनोपरांत संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा उभय पक्षों को नोटिश निर्गत कर विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग की गई तथा आवेदन पत्र में अंकित तथ्यो पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
छोटी भगियामारी	54	346 एवं 347	00–05–00

आज आवेदक उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। फलस्वरूप आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा– छोटी भगियामारी के जमाबंदी नं0– 54, दाग नं0– 346, रकवा 09 कट्ठा 14 धूर एवं दाग नं0– 347 का रकवा 04 कट्ठा 17 धूर, दोनों दागों से कुल रकवा 14 कट्ठा 11 धूर जमीन वास्तु भूमि खतियान में मकु राय के नाम से दर्ज है। वर्णित जमीन प्रधानी जमीन है। आवेदक के पिता कैलाश राय एवं विपक्षी करमी देवी के पति स्व0 प्रेमलाल राय खतियानी रैयत के पोता एवं सहोदर भाई थे। जिससे स्वभाविक रूप से उक्त 14 कट्ठा 11 धूर जमीन का बराबर– बराबर हिस्सा कैलाश राय एवं प्रेमलाल राय को प्राप्त होगा। आवेदक मेघनाथ राय कैलाश राय का पुत्र है, इसलिए उक्त 14 कट्ठा 11 धूर जमीन में से 07 कट्ठा 05½ धूर जमीन का पूर्ण मालिक आवेदक एवं उनके भाई बद्री कुमार राय एवं चन्दन कुमार राय है। उक्त 07 कट्ठा 05½ धूर जमीन के लगान का भुगतान आवेदक एवं उसका भाई ही करते हैं।

विपक्षीगण दबंग एवं प्रभावशाली व्यक्ति है, जिस कारण आवेदक के उक्त 07 कट्ठा 05½ धूर जमीन में से लगभग 05 कट्ठा जमीन को जबरदस्ती दखल कर चार–पांच साल पहले घर बना लिया है, जबकि उक्त जमीन पर उसका कोई हक या अधिकार नहीं है। विपक्षीगण लाठी के बलपर जमीन को दखल कर लिया है, जिससे आवेदक को रहने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये हैं।

विपक्षीगण ने इस वाद में अपना पक्ष रखना उचित नहीं समझा है और न ही कारण पृच्छा या कागजात दाखिल किये हैं।

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 212/रा0, दिनांक 26.06.2013 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा छोटी भगियामारी नं0– 04 एक प्रधानी व अहस्तांतरणीय मौजा है। उक्त मौजा का खाता सं0– 54, कुल रकवा 14 कट्ठा 11 धूर जमीन खतियान स्लीप में मकु राय वल्द झारो राय, सा0– दे हके नाम से दर्ज है। आवेदक मेघनाथ कुमार राय, पिता– कैलाश राय एवं विपक्षी करमी देवी पति स्व0 प्रेमलाल राय एवं अन्य जमाबंदी रैयत मनु राय के वंशज हैं। आवेदक, विपक्षीगण एवं ग्रामीणों से पुछताछ करने पर बताया गया कि जमीन के दो हिस्सा में से एक हिस्सा में आवेदक मेघनाथ राय वो बद्री कुमार राय वो चन्दन कुमार राय, पिता कैलाश राय तथा दूसरे हिस्से में रामदेव राय वो जनकदेव राय वो ब्रह्मदेव राय वो कम्पोडर राय पिता प्रेमलाल राय एवं

Scanned with CamScanner

करमी देवी, पति– प्रेमलाल राय का पडता है। उक्त जमीन में पुरब एवं पश्चिम तरफ विपक्षीगण के दखल के बीच भाग में आवेदक मेघनाथ राय का दखल है। विपक्षियों द्वारा बतलाया गया कि आवेदक के पिता उक्त दाग की जमीन लक्ष्मण साव, पिता मरदुल साव के पास बेचा है तथा उसी जमीन के अन्दर आवेदक की जमीन में संतलाल साव पिता– फौदारी साव, हिरालाल साव, पिता– फौदारी साव दो आदमी रहते हैं। जिसके बारे में पता नहीं चला कि ये लोग कितना–कितना जमीन लिए है। विपक्षी के हिस्से में बबली चौधरी पिता विशु चौधरी, सा0– छोटा भगियामारी कितना जमीन लिये हैं का पता नहीं चलता है। आवेदक एवं विपक्षीगणों से उक्त जमीन की आपसी बंटवारो से संबंधित कागजात मांगे जाने पर नहीं दिखलाया गया। अतः आपसी बंटवारे से संबंधित कागजात तथा खतियानी रैयतों के वंशजों द्वारा अन्य लोगों को जमीन हस्तांतरित किये जाने से सभी कागजात उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से सूचना निर्गत की जाय एवं एस0पी0टी0 एक्ट के तहत् नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष के आवेदन से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष एक ही वंश वृक्ष से आते हैं। दोनों ही पक्षों द्वारा बंटवारे से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रथम पक्ष द्वारा विवादित भूमि भी स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है। उच्छेदी हेतु आवेदक के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत आवेदक के द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner